



2026:AHC:49918

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9169 वर्ष 2026

श्रीमती चंद्रकली

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अश्वनी कुमार द्विवेदी, दीपक कुमार पटेल

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
- इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विरोधी पक्ष आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
- प्रस्तुत रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि तहसीलदार, तहसील मेजा, जिला प्रयागराज को निर्देश दिया जाए कि वे यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत मामला संख्या आरएसटी/5499 वर्ष 2024 (श्रीमती चंद्रकली बनाम श्रीमती उर्मिला देवी) का निर्णय निर्धारित समय-सीमा के भीतर करें।
- याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यू.पी. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निपटारा एक समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकार है:-

“(7) तहसीलदार यह प्रयास करेगा कि नामांतरण के निर्विवाद प्रकरण का निस्तारण वाद के

WRIC सं.9169 वर्ष 2026

2

पंजीकरण की तिथि से 45 दिवस की अवधि के भीतर तथा विवादित नामांतरण प्रकरण का निस्तारण 90 दिवस की अवधि के भीतर कर दिया जाए; और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसके कारणों का अभिलेखन किया जाएगा।”

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, तथापि आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है; अतः यह वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए तहसीलदार, तहसील मेजा, जिला प्रयागराज को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त मामले का निर्णय यूपी. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार करें, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

11 मार्च, 2026

स्वाति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।